

	<p>दिशा में स्थित रास्तों का मार्गाधिकार जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार क्रमशः 24 मीटर एवं 18 मीटर रखा जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।</p> <p>3. प्रस्तावित भूमि का कुल क्षेत्रफल 112802.97 वर्गमीटर होने से नियमानुसार राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावे।</p> <p>4. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 22.06.2017 के बिन्दु संख्या 02 की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे तथा उक्त का अंकन पट्टा विलेख में किया जावे।</p> <p>5. आवेदित भूमि में से गुजर रही निम्न क्षमता की विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे।</p> <p>6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है, इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</p> <p>7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</p>
--	---

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.03.2024	जोन-2	झालामण्ड	27/1	7499.92 वर्गमीटर	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती कमली पत्नी श्री लूम्वाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 27/1 रकबा 7499.92 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	<p>समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की आवासीय प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 40 फीट सड़क व अधिक मार्गाधिकार पर 2 है0 क्षेत्रफल तक की आवासीय योजना अनुज्ञेय है। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार तहसीलदार-जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार पहुंच मार्ग मौका अनुसार 40 फीट है जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है। आवेदित भूमि को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना खसरा संख्या 27 में से 40 फीट एवं जोनल डवलपमेंट प्लान की 80 फीट प्रस्तावित सड़क से पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। 3. जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 24 मीटर (80') प्रस्तावित है। 4. प्रश्नगत भूमि का 90/क का आदेश दिनांक 15.01.2024 को जारी किया जा चुका है। 5. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से एचटी लाईन गुजर रही है व भूमि में मौके पर मुटाम लगे हुए हैं। यद्यपि 90 क कि ऑनलाईन पत्रावली में प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में एलटी लाईन गुजर रही है। <p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कमेटमेंट एवं जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 24 मीटर सुनिश्चित किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार 24 मीटर सुनिश्चित किया जावे। सड़क मार्गाधिकार 				

Odaunje

हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।


2. रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
3. आयोजना शाखा द्वारा नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए दिये गए सुझावों एवम् टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों को समावेश करते हुए समिति द्वारा ले-आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
4. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे।
5. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरांत किया जा सकेगा।
6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे।
7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।
8. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
9. कनिष्ठ अभियन्ता की ऑनलाईन पॉर्टल पर की गयी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे।
10. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमार्केशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावे।
11. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
12. प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 05 :-



बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.03.2024	जोन-2	भाकरासनी	99, 313/99 व 101/6	18859 वर्गमीटर	आवासीय योजना
आवेदक	मैसर्स आशापूर्णा बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड जरिये डायरेक्टर हर्षवर्धन सिंह, रमेश पुत्र श्री शंकरराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 99, 313/99 व 101/6 रकबा 18859 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				

(Signature)

LAY OUT PLAN ON KHASRA NO. 27/1 OF VILLAGE JHALAMAND NEAR ASHAPURNA VALLY AT JODHPUR



LAND USES ANALYSIS		
PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	3974.91	44.31 %
PARK AREA	451.05	05.03 %
M.T./S.W.D. AREA	91.82	01.02 %
ROAD AREA	4452.27	49.64 %
TOTAL SCHEME AREA	8970.05	100.00 %
Area in Bigha = 04 Bigha , 12 Bishwa , 13 1/4 Bishwansi		



GOOGLE MAP OF KHASRA NO. 27/1 OF VILLAGE JHALAMAND NEAR ASHAPURNA VALLY AT JODHPUR



एजेण्डा संख्या 04 :-	बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
	01.03.2024	जोन-2	झालामण्ड	27 / 1	7499.92 वर्गमीटर	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती कमली पत्नी श्री लुम्बाराम					
विषय-	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 27 / 1 रकबा 7499.92 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।					
निर्णय-	समिति को अवगत करवाया गया कि :-					
	<div>1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान की आवासीय प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार 40 फीट सड़क व अधिक मार्गाधिकार पर 2 हठ क्षेत्रफल तक की आवासीय योजना अनुज्ञेय है।</div> <div>2. जोन चैकलिस्ट अनुसार तहसीलदार-जोबिग्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार पहुंच मार्ग मौका अनुसार 40 फीट है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। आवेदित भूमि को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित योजना खसरा संख्या 27 में से 40 फीट एवं जोनल डवलपमेंट प्लान की 80 फीट प्रस्तावित सड़क से पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।</div> <div>3. जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 24 मीटर (80') प्रस्तावित है।</div> <div>4. प्रस्तावित भूमि का 90/क का आदेश दिनांक 15.01.2024 को जारी किया जा चुका है।</div> <div>5. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से एचटी लाईन गुजर रही है व भूमि में मौके पर मुटाम लगे हुए हैं। यद्यपि 90 क कि ऑनलाईन पत्रावली में प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि में एलटी लाईन गुजर रही है।</div>					
समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-						
<div>1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये कनेटमेंट एवं जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 24 मीटर सुनिश्चित किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सड़क का मार्गाधिकार 24 मीटर सुनिश्चित किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोबिग्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।</div> <div>2. रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलैटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।</div> <div>3. आयोजना शाखा द्वारा नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए दिये गए सुझावों एवं टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों को समावेश करते हुए समिति द्वारा ले-आउट प्लान जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।</div> <div>4. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे।</div> <div>5. योजना का क्षेत्रफल 2 है. से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरांत किया जा सकेगा।</div> <div>6. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 हठ से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समुल्लेख राशि जोन स्तर पर ली जावे।</div> <div>7. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं टोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।</div> <div>8. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरांत रहन मुक्त किया जावेगा।</div> <div>9. कनिष्ठ अभियन्ता की ऑनलाईन पॉर्टल पर की गयी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे। साथ ही आवेदित भूमि में से यदि कोई निम्न क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही हो तो उक्त विद्युत लाईन को अन्यत्र सड़क के सहारे शिफ्ट किया जावे जिसकी सुनिश्चितता उपरांत जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे।</div> <div>10. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि की मौके पर डिमाकेशन की सुनिश्चितता जोन/प्रार्थी स्तर पर किये जाने के उपरांत ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावे।</div> <div>11. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवापि एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रस्तावित भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लब्धित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।</div> <div>12. प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भव्य विलियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।</div>						

दिनांक 21/9/23 को सुपर इम्प्लेज/भौतिक सत्यापित LAYOUT PLAN से प्रस्तुत LAYOUT PLAN का मिलान कर सीमाओं को लाल रंगी से बिन्दु A से E तक किया गया।

(प्रमाण प्रमाणित)
निरीक्षक (पू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर


कमली

Regkajnd:- 01385

सहायक नगरनियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

निदेशक (आयोजना)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



राजस्थान RAJASTHAN

U 669402


रहन नामा (Mortgage Deed)

रहन नामा एक लिख देती हूँ कमली पत्नी श्री लुम्बा राम निवासी शिकारगढ़ जोधपुर शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि जिन्हे आगे इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

बहक

सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर जिन्हे आगे इस दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के पक्ष में यह दस्तावेज निम्न प्रकार से तहरीरी कर देता हु कि :-

1. यह है की प्रथम पक्षकारान की खरीद सुदा कृषि भूमि, खसरा नं. 27/11 कुल रकबा 04-12-13 ¼ बीघा ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर में आयी हुई है।
2. यह है की उक्त कृषि भूमि का जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट दिनांक 01.03.24 को अनुमोदित किया जा चुका है तथा 90-A की कार्यवाही दिनांक 15.01.24 को पूर्ण हो चुकी है।



ATTESTED
NOTARY JODHPUR

अर्जुन पंवार
कनिष्ठ सहायक
जोधपुर विकास प्राधिकरण

कमली



नाम मुद्राक विक्रेता श्रीमती पूर्णिमा मुराणा अनुक्रमा संख्या 17/जोधपुर शहर/2020
 रजि. क्रम संख्या 2370 दि. 9/11/24. मुद्रांक वैल्यू व क्रम संख्या 500/-
 मुद्रांक क्रेता का नाम कमली सिंह/पति का नाम पुष्पा राम
 पता शिक्षारगढ़, जोधपुर
 प्रयोजन रहननामा
 (हस्ते क्रय को दशा में द ले जा रहा हूँ) जयबर्द्धन सिंह
 क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर [Signature] विक्रेता के हस्ताक्षर [Signature]
 क्रय स्थान:- जयवन्त कॉलेज, नैन (विप्लव) रोड, रातानाड़ा रोड, जोधपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रयोजित आदिभार	
1. आधारभूत अयसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क) - 10% राशि	50/-
2. गाय और जलवायु संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-ख) प्रयोजित आय-आवधिक एवं नकद निमित्त आयदाओं के विभाजन हेतु 20% राशि	100/-
कुल योग	150/-
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर	

3. यह है की टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आंतरिककार्य के बाबत 12.5 प्रतिशत भूमि द्वितीय पक्षकार के पास रहन रखे जाने है इस आवासीय कॉलोनी में आंतरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 एक्ट के नियम 12 के अधीन उक्त विकास करने के लिए प्रतिबंध हु अन्यथा नियमानुसार पेनल्टी भुगतान को तैयार हु उक्त समयवधि में आंतरिक विकास नहीं करने पर भूखंडो को विक्रय हेतु प्राधिकरण अधिकृत होगा।

4. यह है की उक्त खसरा न. 27/1 के अनुमोदित ले -आउट प्लान में से 12.5 प्रतिशत भूखंड का विवरण निम्न है

क्र सं	भूखंड संख्या	भूखंडो का क्षेत्रफल
1	17	205.33
2	18	291.07
	कुल क्षेत्रफल	496.40

5. यह है की उपरोक्त वर्णित सारणी के भूखंडो को हम प्रथम पक्षकार टाउनशिप पॉलिसी या निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आंतरिक विकास कार्य के बाद 12.5 % भूखंडो के अंतर्गत द्वितीय पक्षकार के पास रहन रख रहे है।

6. यह की उक्त भूखंडो को आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि तक के लिए रहन रखा गया है। जो आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय पक्षकार नियुक्त कर्मचारी की रिपोर्ट के पश्चात द्वितीय पक्षकार रहन मुक्त कर सकेंगे तत्पश्चात 12.5 % भूखंडो के पट्टे प्रथम पक्षकार प्राप्त करने के अधिकार होंगे।

7. लिहाजा ये रहनामा प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार के हक में राजी खुशी अकल होशियारी से बिना नशे पते और बिना किसी दबाव को सह कर सुनकर निष्पादित कर दिया गया है। जो लिखे माफिक सही है व सत्य है तथा तबले अरुत काम आवे।

कमली

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

ATTESTED
NOTARY, JODHPUR

साख:01 साख लिख देता हु की में जयवर्द्धन सिंह भारती पुत्र श्री
श्री सिंह जी जाति राजपूत निवासी
ग्राम: साँत काना खुर्द ने प्रथम पक्षकार के कहने से लिख दी है जो सही है। Jaiyay Bharti

साख:02 साख लिख देता हु की में राजे उ सिंह पुत्र श्री
भा.भा.दा.दा.दा. जाति च.रा.रा. निवासी न.रा.रा.
सा.रा.रा.दा.दा.दा. ने प्रथम पक्षकार के कहने से लिख दी है जो सही है। ECH



ATTESTED
NOTARY, JODHPUR